

जिला पदाधिकारी, कैमूर के ज्ञापांक- 692/आ0, दिनांक-19.09.2018 में अग्रेतर जांच हेतु लंबित (Left over cases) एवं अन्य आपत्तियों का निष्पादन करने संबंधी दिनांक 11.12.2018 को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला चयन समिति की बैठक की कार्यवाही

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं विभागीय पत्रांक 122/खाद्य, पटना, दिनांक 08.03.2017 के आलोक में कैमूर जिलान्तर्गत भभुआ एवं मोहनियां अनुमण्डल के रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों के अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 368, दिनांक 03.06.2017 के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में पी0डी0एस0 दुकानों के अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों एवं आपत्ति के जांचोपरान्त एवं निष्पादनोपरान्त कार्यालय आदेश ज्ञापांक 692/आ0, दिनांक 19.09.2018 के द्वारा जिला चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर सार्वधिक योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को पी0डी0एस0 दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु चयनित किया गया था, जिसमें भभुआ एवं मोहनियां अनुमण्डल तथा नगर निकाय भभुआ एवं मोहनियां के कुछ पंचायतों/वाडों में कतिपय स्थानों के लिए वांछित जांच लम्बित रहने के कारण चयन नहीं हो सका था। साथ ही ज्ञापांक 692/आ0, दिनांक 19.09.2018 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों के आपत्तियों भी प्राप्त हुई है।

तदालोक में Left over cases तथा प्राप्त आपत्ति पर पुनर्विचार करने हेतु दिनांक 11.12.2018 को जिला चयन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित विवरणी के अनुसार बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश, 2016 में वर्णित प्रावधान के आलोक में सर्वाधिक योग्य पाये गये अभ्यर्थियों का जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु चयनित किया जाता है।



**जिला पदाधिकारी, कैमूर के ज्ञापांक- 692/आ0, दिनांक-19.09.2018 में अग्रेतर जांच हेतु लंबित
(Left over cases) का निष्पादन**

अनुमण्डल का नाम :- भभुआ

प्रखण्ड का नाम :- भभुआ

क्र०	पंचायत/ वार्ड	रोस्टर के अनुसार रिक्ति की कोटी संख्या	अनुज्ञप्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी का नाम/ पिता/पति का नाम	पता	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	रूपपुर	अ0पि0व0-01	श्री बाबूलाल राम, पिता-श्री रामकेश राम	ग्राम-गोराईपुर, पंचायत-रूपपुर	
2.	मिरियां	पि0व0-01	श्रीमती शीला पटेल पति-श्री अंगद सिंह पटेल	ग्राम-छोटकाकीर पंचायत-मिरियां	
3.	रुईयां	अ0जा0(महिला)-01	श्रीमती कश्मीरा देवी पति-श्री हरिदास कुमार	ग्राम-दरौली पंचायत-रुईयां	
प्रखण्ड-भगवानपुर					
4.	रामगढ़	अनारक्षित-01	श्री महेन्द्र प्रसाद, पिता-श्री शोभा बिन्द	ग्राम-चुआं पंचायत-रामगढ़	विकलांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया गया
प्रखण्ड-अधौरा					
5.	सड़की	अनारक्षित-01	श्री राजीव कुमार पिता-श्री दुखी पासवान	ग्राम-सड़की पंचायत-सड़की	
6.		पि0व0-01	किरण कुमारी पिता-श्री राम गहन सिंह यादव	ग्राम-सड़की पंचायत-सड़की	
7.	डुमरांवा	पि0व0-01	श्री सुदामा कुमार सिंह पिता-श्री शिवमुरत सिंह	ग्राम-डुमरांवा पंचायत-डुमरांवा	अंचलाधिकारी, अधौरा के पत्रांक 633, दिनांक 26.11.18 से प्राप्त जांच प्रतिवेदनानुसार चयनित अभ्यर्थी सुदामा कु0 सिंह के विरुद्ध आटा चक्की संचालन का आरोप सही नहीं पाया गया।

8.	आथन	अनारक्षित अन्य-01	श्री राज कुमार सिंह, पिता-श्री शिवपूजन सिंह	ग्राम-ओलदाग पंचायत-आथन	
9.		अनारक्षित महिला-01	श्रीमती अंजु कुमारी पति-श्री ब्रज किशोर कुमार	ग्राम-चटहास पंचायत-आथन	
10.		अ0जा0 महिला-01	श्रीमती कमोदा देवी पति-श्री विशेषवर पासवान	ग्राम-जोरदाग पंचायत-आथन	
11.		अ0पि0व0 महिला-01	श्रीमती उषा देवी पति-श्री राम प्रवेश गुप्ता	ग्राम-आथन पंचायत-आथन	
नगर परिषद्, भभुआ					
12.	वार्ड नं0-6	अनारक्षित महिला-01	श्रीमती चंचला कुमारी पति-श्री अखिलेश कुमार सिंह	वार्ड नं0-6, नगर परिषद्, भभुआ	विकलांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया गया
13.	वार्ड नं0-9	अ0जा0-01	श्रीमती पूजा कुमारी पति-श्री पप्पु कुमार	वार्ड नं0-9, नगर परिषद्, भभुआ	
14.	वार्ड नं0-11	अनारक्षित-01	श्री अविनाश कुमार पिता-स्व0 ललन प्रसाद गुप्ता	वार्ड नं0-11, नगर परिषद्, भभुआ	कार्यपालक पदा0, नगर परिषद्, भभुआ के पत्रांक 754, दिनांक 01.10.18 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार चयनित अभ्यर्थी श्री अविनाश कुमार वार्ड नं0-11 के निवासी पाये गये।
15.	वार्ड नं0-18	अनारक्षित-01	श्री अंचल कुमार तिवारी पिता-श्री कृष्ण मोहन तिवारी	वार्ड नं0-18, नगर परिषद्, भभुआ	विकलांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया गया

2

अनुमण्डल का नाम :- मोहनियां

प्रखण्ड का नाम :- मोहनियां

क्र०	पंचायत/ वार्ड	रोस्टर के अनुसार रिक्ति की कोटी संख्या	अनुज्ञप्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी का नाम/पिता/पति का नाम	पता	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	मुजान	अनारक्षित महिला-01	श्रीमती चन्द्रप्रभा कुमारी पति-श्री दिलीप मौर्या	ग्राम-मुजान पंचायत-मुजान	
2.	अकोढीमेला	पि०व० महिला-01	-	-	अंचलाधिकारी, मोहनियां के पत्रांक 2542, दिनांक 26.11.18 के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार अभ्यर्थी तेतरी देवी के निकट संबंधी को आटा चक्की का मिल है, जिसके कारण बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11(3) के अनुसार चयनित अभ्यर्थी तेतरी देवी अनुज्ञप्ति के लिए निरर्हित है। इस पंचायत में पि०व०महिला कोटि में अन्य कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं रहने के कारण पद रिक्त है।
3.	बघिनी	अ०जा०-01	श्री संजीव कुमार चौधरी पिता-श्री महेन्द्र चौधरी	ग्राम-बघिनी पंचायत-बघिनी	विकलांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया गया
4.	शहबाजपुर	अ०पि०व० महिला-01	श्रीमती डैजी कुमारी पति-श्री उपेन्द्र खरवार	ग्राम-समहुता पंचायत-शहबाजपुर	
5.		अनारक्षित-01	श्री राम अवतार सिंह पिता-श्री पारसनाथ सिंह	ग्राम-समहुता पंचायत-शहबाजपुर	
6.	पानापुर	अनारक्षित-01	श्रीमती मीरा देवी पति-श्री संतोष कुमार राम	ग्राम-सोन्धी पंचायत-पानापुर	
7.	भिट्टी	पि०व०-01	श्रीमती सीमा देवी पति-श्री रवि प्रकाश	ग्राम-करिगांव पंचायत-भिट्टी	
8.	बेलौड़ी	अनारक्षित महिला-01	श्रीमती शशिकला देवी पति-श्री सतवंत सिंह	ग्राम-अमरपुरा पंचायत-बेलौड़ी	
9.		अ०जा० महिला-01	श्रीमती प्रियंका कुमारी पति-श्री संजय कुमार राम	ग्राम-बेलौड़ी पंचायत-बेलौड़ी	

प्रखण्ड-कुदरा					
10.	देवराढ़कला खुर्द	अ0पि0व0-01	श्री सुनील कुमार गुप्ता पिता-श्री मानिक चन्द्र साह	ग्राम-लालापुर पंचायत- देवराढ़कला खुर्द	
11.		अनारक्षित महिला-01	श्रीमती विद्यावती देवी पति-श्री रामाश्रय सिंह	ग्राम-घटांव पंचायत-घटांव	
12.	घटांव	अनारक्षित-01	श्री विन्ध्याचल जायसवाल पिता-स्व0 राममुरत साह	ग्राम-घटांव पंचायत-घटांव	विकलांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया गया
13.		अ0जा0-01	श्री जयप्रकाश राम पिता-श्री राम दवर राम	ग्राम-घटांव पंचायत-घटांव	
प्रखण्ड-रामगढ़					
14.	बन्दीपुर	अनारक्षित-01	श्री नीरज कुमार सिंह पिता-श्री शिवजी सिंह	ग्राम-बन्दीपुर पंचायत-बन्दीपुर	विकलांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया गया
नगर पंचायत, मोहनियां					
15.	वार्ड नं0-8	अनारक्षित-01	श्री रवि शंकर सिंह पिता-स्व0 रामेश्वर सिंह	मोहनियां, वार्ड नं0-8	
16.	वार्ड नं0-14	अनारक्षित-01	श्री रोहित कुमार सिंह पिता-श्री रमेश चन्द्र सिंह	मोहनियां, वार्ड नं0-14	इस वार्ड के वरीयता में प्रथम स्थान पर आये श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी, पिता श्री बच्चन चतुर्वेदी के संबंध में उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, मोहनियां के पत्रांक 278, दिनांक 29.09.18 से प्रतिवेदित किया गया है कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के कारण शारीरिक रूप से अक्षम है। इसलिए इनके दावा को अमान्य करते हुए श्री रोहित कुमार सिंह, पिता श्री रमेश चन्द्र सिंह का चयन किया गया।
17.	वार्ड नं0-15	पि0व0 महिला-01	श्रीमती उर्मिला देवी पति-श्री बाबूलाल गुप्ता	ग्राम-अवांरी वार्ड नं0-15, मोहनियां	
18.		अनारक्षित-01	श्रीमती मंजू लता भारती पति-श्री नन्दलाल भारती	वार्ड नं0-15, मोहनियां	

जिला पदाधिकारी, कैमूर के ज्ञापांक 692/आ0, दिनांक 19.09.2018 के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति पर पुनर्विचार के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों की विवरणी

अनुमण्डल का नाम :- भभुआ

प्रखण्ड का नाम :- भगवानपुर

क्र०	पंचायत/ वार्ड	रोस्टर के अनुसार रिक्ति की कोटी संख्या	ज्ञापांक 692/आ0, दिनांक 19.09.18 के द्वारा चयनित अभ्यर्थी	चयनित अभ्यर्थी के विरुद्ध प्राप्त दावा आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	प्राप्त दावा आपत्ति पर जांच पदा0 का प्रतिवेदन	जिला चयन समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1.	भगवानपुर	अनारक्षित महिला-01	श्रीमती अंशु देवी पति-श्री दिपक कुमार चौरसिया	अनिता कुमारी के द्वारा आपत्ति-वरीयता में प्रथम होने के बावजूद आटा चक्की होने के आरोप में द्वितीय स्थान पर आये अभ्यर्थी का चयन किया गया।	अनु0 पदा0, भभुआ के पत्रांक 4038, दिनांक 17.11.18 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अनिता कुमारी के घर में आटा चक्की मील नहीं पाया गया।	सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती अंशु देवी के स्थान पर प्रथम वरीयता प्राप्त श्रीमती अनिता कुमारी, पति श्री दिलीप कुमार, ग्राम भगवानपुर को चयनित किया गया।
प्रखण्ड-रामपुर						
2.	अमांव	पि0व0-01	श्री सुजीत कुमार सिंह, पिता-बैजनाथ सिंह	चयनित अभ्यर्थी के विरुद्ध आटा चक्की/तेल मशीन संचालन का आरोप	अनु0 पदा0, भभुआ के पत्रांक 4038, दिनांक 17.11.18 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सुजीत कुमार सिंह, पिता बैजनाथ सिंह के घर आटा चक्की, तेल मशीन पाया गया, जिसका संचालन उनके भाई धर्मन्द्र सिंह के द्वारा किया जाता है।	सम्यक् विचारोपरान्त बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11(3) के अनुसार पूर्व से चयनित अभ्यर्थी निरर्हित है। इसलिए इनके चयन को रद्द करते हुए इनके स्थान पर श्री इन्द्रजीत कुमार, पिता श्री शिवमुरत यादव, ग्राम मरईचा, पंचायत अमांव का चयन किया गया।

प्रखण्ड-अधौरा

3.	चैनपुरा	अनारक्षित-01	श्रीमती कंचन कुमारी, पिता श्री शिवपुजन सिंह	चयनित अभ्यर्थी के विरुद्ध वर्तमान में बिहार पुलिस में कॉन्सटेबल के पद पर कार्यरत रहने का आरोप	अनु0 पदा0, भभुआ के पत्रांक 4038, दिनांक 17.11.18 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार चयनित अभ्यर्थी कंचन कुमारी की कॉन्सटेबल के पद पर कार्यरत रहने का आरोप सत्य पाया गया।	सम्यक् विचारोपरान्त बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11(6) के अनुसार पूर्व से चयनित अभ्यर्थी निरर्हित है। इसलिए इनके चयन को रद्द करते हुए इनके स्थान पर श्री रविकांत रंजन, पिता शिवपुजन सिंह, ग्राम लोहरा, पंचायत चैनपुरा का चयन किया गया।
4.	कोल्हुआ	अनारक्षित-01	श्री अनिल कुमार पिता-श्री राम नियादी यादव	चयनित अभ्यर्थी के विरुद्ध आटा चक्की मील का आरोप	अनु0 पदा0, भभुआ के पत्रांक 4038, दिनांक 17.11.18 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार चयनित अभ्यर्थी अनिल कुमार के विरुद्ध आटा चक्की मील का आरोप सत्य पाया गया।	सम्यक् विचारोपरान्त बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11(3) के अनुसार पूर्व से चयनित अभ्यर्थी निरर्हित है। इसलिए इनके चयन को रद्द करते हुए इनके स्थान पर श्रीमती सीमा कुमारी, पति श्री पंकज कुमार सिंह, ग्राम गड़के, पंचायत कोल्हुआ का चयन किया गया।

प्रखण्ड-चैनपुर

5.	उदयरामपुर	अनारक्षित महिला-01	श्रीमती मीरा देवी पति-रामलाल राम	चयनित अभ्यर्थी के विरुद्ध सहायिका के पद पर कार्यरत रहने का आरोप	अनु0 पदा0, भभुआ के पत्रांक 4038, दिनांक 17.11.18 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार चयनित अभ्यर्थी श्रीमती मीरा देवी के विरुद्ध आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कोड सं0-91, उदयरामपुर (भैंसहट) पर दिनांक 26.07.18 तक कार्यरत रही है। आरोप सत्य पाया गया।	सम्यक् विचारोपरान्त बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11(6) के अनुसार पूर्व से चयनित अभ्यर्थी निरर्हित है। इसलिए इनके चयन को रद्द करते हुए इनके स्थान पर श्रीमती कृष्णावती देवी, पति श्री धर्मराज सिंह, ग्राम भैंसहट, पंचायत उदयरामपुर का चयन किया गया।
6.	करजांव	अ0जा0-01	श्री बिट्टू बैठा, पिता श्री	इसी पंचायत में इनकी पत्नी श्रीमती सोनी	जांच में आरोप सत्य पाया गया है। बिट्टू बैठा के द्वारा इस संबंध में	सम्यक् विचारोपरान्त श्री बिट्टू बैठा के स्थान पर श्री अभय कुमार, पिता श्री राम

1

			कोमल बैठा	कुमारी का अनारक्षित महिला के पद पर चयन किया गया है।	शपथ पत्र के माध्यम से आरोप स्वीकार कर दावेदारी वापस लिया गया है।	गहन राम, ग्राम नैनपुर, पंचायत करंजाव का चयन किया गया।
7.	मेढ़	अ0पि0व0-01	श्रीमती पुष्पा कुमारी, पति श्री जमुना प्रसाद	श्रीमती पुष्पा कुमारी वर्तमान में इस पंचायत की निवासी नहीं है। इनकी शादी अन्यत्र हो चुकी है।	अनु0 पदा0, भभुआ के पत्रांक 4062, दिनांक 28.11.18 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोप सही पाया।	सम्यक् विचारोपरान्त चयनित अभ्यर्थी पुष्पा कुमारी के स्थानीय निवासी नहीं रहने के कारण इनके स्थान पर श्रीमती सुनीता कुमारी, पति श्री राकेश कुमार सिंह, ग्राम डिहा, पंचायत मेढ़ का चयन किया गया।
8.	नन्दगांव	अनारक्षित-01	श्री मदन राम, पिता श्री बैजनाथ राम	श्री जगनारायण सिंह यादव के द्वारा आरोप लगाया गया कि चयनित अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन के निर्धारित तिथि के बाद कम्प्यूटर संबंधी योग्यता का प्रमाण पत्र दिया गया। आपत्तिकर्ता द्वारा इस ग्राम पंचायत के अनारक्षित कोटि के वरीयता क्रमांक 1 पर आये श्री मुन्ना प्रसाद, पिता गंगा राम, ग्राम बौरई के विरुद्ध आपत्ति दी गयी है कि ये भभुआ नगर परिषद् वार्ड नं0 7 के निवासी है।	आपत्तिकर्ता के द्वारा दिये गये साक्ष्य यथा आवेदन प्राप्त पंजी एवं अनु0पदा0 के द्वारा आवेदन पत्रों एवं संलग्न प्रमाण पत्रों के प्रकाशित सूची के अवलोकन से आरोप सत्य पाया गया। मुन्ना प्रसाद, पिता गंगा राम के विरुद्ध समर्पित साक्ष्य यथा नगर परिषद् भभुआ के वार्ड नं0-7 के निर्वाचक नामावली, 2018 एवं नगर निकाय निर्वाचन 2017 के वार्ड नं0 6 के विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची जिसमें मुन्ना राम का पता भभुआ वार्ड नं0-7 दर्शाया गया है, से आरोप सत्य पाया गया।	सम्यक् विचारोपरान्त चयनित अभ्यर्थी श्री मदन राम के चयन को रद्द किया जाता है। वरीयता सूची में प्रथम स्थान पाये श्री मुन्ना प्रसाद, पिता श्री गंगा राम के दावे को इस प्रखण्ड एवं नन्दगांव पंचायत के निवासी नहीं रह जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए श्री मदन राम के स्थान पर श्री जगनारायण सिंह यादव, पिता रामजन्म सिंह यादव, ग्राम बौरई, पंचायत नन्दगांव का चयन किया गया।
प्रखण्ड-भगवानपुर						
9.	पढ़ौती	अनारक्षित-01	श्रीमती विद्यापती द्विवेदी, पति-श्री दयाशंकर द्विवेदी	चयनित अभ्यर्थी के विरुद्ध धारा 7 EC Act 1955 के अन्तर्गत एवं अन्य आपराधिक मामले में प्राथमिकी दर्ज है।	अनु0 पदा0, भभुआ के पत्रांक 4062/आ0, दिनांक 28.11.18 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार चयनित अभ्यर्थी श्रीमती विद्यापति द्विवेदी के विरुद्ध कांड सं0-457 u/s 7 EC, वाद सं0-3481/2015, एवं कांड सं0 632/2015 u/s 354 B दर्ज होने का आरोप सत्य पाया गया।	जांच प्रतिवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त इनके चयन को रद्द किया जाता है एवं इनके स्थान पर श्री राजू कुमार रंजन, पिता स्व0 बिरबल धोबी, ग्राम-पंचायत-पढ़ौती का चयन किया गया।

अनुमण्डल का नाम :- मोहनियां

प्रखण्ड का नाम :- कुदरा

क्र०	पंचायत/ वार्ड	रोस्टर के अनुसार रिक्ति की कोटी संख्या	ज्ञापांक 692/आ०, दिनांक 19.09. 18 के द्वारा चयनित अभ्यर्थी	चयनित अभ्यर्थी के विरुद्ध प्राप्त दावा आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	प्राप्त दावा आपत्ति पर जांच पदा० का प्रतिवेदन	जिला चयन समिति का निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1.	खरहना	अनारक्षित महिला-01 अ०पि०व०-01	श्रीमती कुमारी अन्नु गुप्ता, पति श्री अरुण कुमार गुप्ता	चयनित अभ्यर्थी आंगनबाड़ी सेविका के पद पर कार्यरत है।	अनु० पदा०, मोहनियां के पत्रांक 867, दिनांक 01.12.18 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आरोप सही पाया गया।	सम्यक् विचारोपरान्त बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11(6) के अनुसार पूर्व से अनारक्षित महिला वर्ग में चयनित अभ्यर्थी श्रीमती कुमारी अन्नु गुप्ता निरर्हित हो जाने के कारण उनके चयन को रद्द करते हुए इनके स्थान पर अनारक्षित महिला कोटि में श्रीमती मीना देवी, पति श्री रामजी प्रसाद गुप्ता, ग्राम खड़हना, पंचायत खरहना का चयन किया गया। साथ ही इस पंचायत में अ०पि०व० कोटि में पूर्व से चयनित श्रीमती मीना देवी, पति रामजी प्रसाद गुप्ता के चयन को रद्द करते हुए अ०पि०व० कोटि में उनके स्थान पर श्री रमेश कुमार, पिता चन्द्रमा साह, ग्राम सोनवर्षा, पंचायत खरहना का चयन किया गया।

2.	सिसवार	अनारक्षित महिला-01	श्रीमती प्रमिला पति-श्री राजेश कुमार रौशन	इसी पंचायत में प्रमिला के पति के भाई का चयन अनु0जा0 कोटि के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के रूप में हुआ है।	अनु0 पदा0, मोहनियां के ज्ञापांक 890, दिनांक 08.12.18 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं श्रीमती प्रमिला के शपथ पत्र के अनुसार आरोप सही पाया गया।	सम्यक् विचारोपरान्त चयनित अभ्यर्थी श्रीमती प्रमिला के चयन को रद्द करते हुए इनके स्थान पर श्रीमती सरिता कुमारी, पति श्री विनय कुमार सिंह, ग्राम बसही, पंचायत सिसवार का चयन किया गया।
----	--------	--------------------	---	---	--	---

प्रखण्ड-रामगढ़

3.	सिंझुआ	अ0पि0व0-01	श्रीमती शबनम बेगम, पति श्री मुमताज अंसारी	चयनित अभ्यर्थी श्रीमती शबनम बेगम के ससुर जन वितरण प्रणाली विक्रेता है एवं स्वयं वार्ड नं0-6 में पंच के पद पर निर्वाचित है।	अनु0 पदा0, मोहनियां के ज्ञापांक 865, दिनांक 01.12.18 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आरोप सही पाया गया।	सम्यक् विचारोपरान्त बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11(1) के अनुसार चयनित अभ्यर्थी श्रीमती शबनम बेगम के निरहित हो जाने के कारण उनके चयन को रद्द करते हुए इनके स्थान पर श्री हरिवंश सिंह, पिता श्री देवराज सिंह, ग्राम उफरौली, पंचायत सिंझुआ का चयन किया गया।
----	--------	------------	---	--	--	---

4.	देवहलियां	अ0जा0 महिला-01	श्रीमती प्रतिभा कुमारी, पति श्री विरेन्द्र कुमार	चयनित अभ्यर्थी के पति रामगढ़ प्रखण्ड के मसाढ़ी पंचायत में जन वितरण प्रणाली दुकानदान के रूप में चयनित है।	अनु0 पदा0, मोहनियां के ज्ञापांक 891, दिनांक 08.12.18 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोप सही पाया गया। श्रीमती प्रतिभा कुमारी शपथ पत्र के माध्यम से अपना दावेदारी वापस लिया गया।	सम्यक् विचारोपरान्त चयनित अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिभा कुमारी के चयन को रद्द किया जाता है एवं इस कोटि में कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं रहने के कारण पद रिक्त।
----	-----------	----------------	--	--	--	--

प्रखण्ड-दुर्गावती

5.	चेहरियां	अनारक्षित महिला-01	श्रीमती सीमा कुमारी, पति श्री उमेश कुमार	चयनित अभ्यर्थी श्रीमती सीमा कुमारी प्रखण्ड भभुआ में जीविका के सामुदायिक समन्वयक के पद पर कार्यरत है।	अनु0 पदा0, मोहनियां के ज्ञापांक 866, दिनांक 01.12.18 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोप सही पाया गया। इस संबंध में श्रीमती सीमा कुमारी के द्वारा आवेदन पत्र देकर अपने दावेदारी को वापस लिया गया।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 11(6) के अनुसार चयनित अभ्यर्थी श्रीमती सीमा कुमारी के निरहित हो जाने के कारण उनके चयन को रद्द करते हुए इनके स्थान पर श्रीमती इभा कुमारी, पति स्व0 अरविन्द कुमार गुप्ता, ग्राम-पंचायत-चेहरियां का चयन किया गया।
----	----------	--------------------	--	--	---	--

अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ/मोहनियां को निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त चयनित अभ्यर्थियों को बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में वर्णित प्रावधान के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का विहित रूप से सत्यापन कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुज्ञप्ति निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे एवं कृत कार्रवाई से जिला आपूर्ति कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।


11.12.18


जिला पदाधिकारी-सह-
अध्यक्ष, जिला चयन समिति,
कैमूर (भभुआ)

ज्ञापांक- X-10-2018/929

/आ0,भभुआ,

दिनांक- 13 दिसम्बर,2018

- प्रतिलिपि:- सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भभुआ/मोहनियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ/मोहनियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- उप निदेशक (खाद्य), पटना प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


11.12.18

जिला पदाधिकारी-सह-
अध्यक्ष, जिला चयन समिति,
कैमूर (भभुआ)